न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 06/2020 अपील/प्रतापगढ़
पंजीयन दिनांक– 03.02.2020
निर्णय दिनांक– 26.08.2020

अखिल भारतीय मेवाडा धनघर गाडरी, गायरी सेवा समिति गाडरियावास, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ जरिये–

1. अध्यक्ष, श्री धनराज पिता भगवानलाल गायरी
2. सचिव, श्री भग्गा पिता कालु गायरी, निवासीयान गाडरियावास, तहसील धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमती कमला देवी पत्नि स्व. रतनपुरी गोस्वामी, निवासी धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, धरियावद, जिला प्रतापगढ़ (राज.)

.....रेस्पोडेन्ट्स

अधिवक्ता :
श्री कमलेश चौहान : अधिवक्ता अपीलान्ट
श्री एस. पी. गोस्वामी : अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1
राजकीय अभिभाषक : रेस्पोडेंट संख्या 2

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यू एक्ट–1956
विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2018
निर्णय दिनांक 30.10.2019

निर्णय

दिनांक–26.08.2020

अपीलान्ट द्वारा यह अपील अन्तर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध अति. जिला कलक्टर, प्रतापगढ़ के प्रकरण संख्या 02/2018 निर्णय दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध दिनांक

29.01.2020 को मय प्रा0पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र पेश की गई है।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटगण की मौजा गाडरियावास में आराजी नम्बर 41/2, 41/35 एवं 41/42 स्थित है, जिस पर अपीलांटगण के समाज के पूर्वजो के समय से कब्जा चला आ रहा है। इनमें से आराजी नम्बर 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा का आवंटन रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा अपने नाम पर मिलीभगत से करा लिया है। उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांटगण की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14(4) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया था, जिसे अधीनस्थ न्यायालय अपने निर्णय दिनांक 30.10.2019 से खारिज कर दिया जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांटगण द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई। उक्त अपील अपीलांट स्वीकार किया जाने का निवेदन किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निम्नानुसार निर्णय पारित किया गया है " *हमने विद्धान उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहन अवलोकन किया। उपरोक्त विवेचन की राशनी में ज्ञात हुआ कि अप्रार्थी को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 41/42 रकबा 1.17 बीघा किस्म बा. III अप्रार्थीया को कमाण्ड क्षेत्र की प्रिमियम राशि 37463 रूपये जरिये चालान से जमा कराई गई है। साथ ही आवंटन पट्टा दिनांक 15.07.2005 को जारी हुआ है। जिस पर नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 01.08.2005 से गैर खातेदार दर्ज है। प्रार्थी का एतराज है कि आवंटी का मौके पर कब्जा नही है जबकि आवंटन प्रार्थना पत्र देखने पर जाहिर आया कि दिनांक 15.12.2004 को पटवारी हल्का धरियावद द्वारा टिप्पणी की गई कि आराजी नम्बर 41/35 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा बा. III श्रीमती कमला देवी बेवा स्व. श्री रतनपुरी के नाम नाजायज कब्जा दर्ज है। स्पष्ट है कि आवंटन पूर्व से अप्रार्थीया का मौके पर कब्जा है। प्रार्थी का अन्य एतराज यह है कि आवंटित भूमि एक चक के रूप में होनी चाहिए न कि लम्बी लीरी के रूप में। आवंटन प्रार्थना पत्र पर यह टिप्पणी की गई है कि छोटी पट्टी के रूप में डी. एल.सी. की दर से कीमतन नियमन की जाती है। आवंटन छोटी पट्टी के रूप में है अतः लीरी के आकार का है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा माह अगस्त, 2018 में पोल लगाकर तरबंदी की गई है एवं*

मसानिया भैरू का स्थान भी बना दिया गया है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री कमलेश चौहान और से उपस्थित व रेस्पोडेंट संख्या 1 की ओर से श्री एस. पी. गोस्वामी तथा रेस्पोडेंट संख्या 2 की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित हुए। उभय पक्ष अधिवक्ताओं की बहस दिनांक 26.08.2020 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेंट कमला बाई धरियावद की निवासी है तथा भूमि ग्राम गाडरियावास में आवंटित कराई गई है। आवंटित भूमि पर आवंटन से पूर्व कब्जा हो, ऐसा कोई साक्ष्य रेस्पोडेंट द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। आवंटन यदि काश्त हेतु किया गया हो तो एक चक के रूप में किया जाता है जबकि इस प्रकरण में आवंटन लम्बी लिरी के रूप में किया गया है जिसे रेस्पोडेंट ने स्वीकार किया है। आवंटित भूमि गैर काबिल काश्त है। 14 वर्ष व्यतीत होने के बावजूद खातेदारी अधिकार नहीं मिले क्योंकि कब्जा नही है। रेस्पोडेंट ने यह कही नही बताया की वह इस भूमि पर काश्त करता है। आवंटन प्रार्थना पत्र में रेस्पोडेंट द्वारा पहले से धारित भूमि के तथ्य एवं निवास के ग्राम के तथ्य को छिपाया है। आवंटन नियमों में विधवा को प्राथमिकता देने का कोई प्रावधान नहीं है। अतः रेस्पोडेंट को किया गया आवंटन निरस्त किया जाकर अपील अपीलांट स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स ने अपनी बहस में बताया कि बताया कि रेस्पोडेंट को आवंटित भूमि खसरा नम्बर 41/42 रकबा 1.17 बीघा किस्म बा. III अप्रार्थीया को कमाण्ड क्षेत्र की प्रिमियम राशि 37463 रूपये जरिये चालान से जमा कराई गई है। साथ ही आवंटन पट्टा दिनांक 15.07.2005 को जारी हुआ है। जिस पर नामांतरकरण संख्या 872 दिनांक 01.08.2005 से गैर खातेदार दर्ज है। पटवारी हल्का धरियावद द्वारा टिप्पणी में भी आराजी नम्बर 41/35 रकबा एक बीघा सत्रह बिस्वा

बा. III श्रीमती कमला देवी बेवा स्व. श्री रतनपुरी के नाम नाजायज कब्जा दर्ज है। स्पष्ट है कि आवंटन पूर्व से रेस्पोडेंट का मौके पर कब्जा है। आवंटन प्रार्थना पत्र पर यह टिप्पणी की गई है कि छोटी पट्टी के रूप में डी.एल.सी. की दर से कीमतन नियमन की जाती है। आवंटन छोटी पट्टी के रूप में है अतः लीरी के आकार का है। मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी द्वारा माह अगस्त, 2018 में पोल लगाकर तारबंदी की गई है एवं मसानिया भैरू का स्थान भी बना दिया गया है। अतः आवंटान नियमानुसार किया जाना बताते हुए अपील अपीलांट अस्वीकार किया जाने का निवेदन है।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन किया। प्रकरण में हम सर्वप्रथम मियाद आवेदन पर निर्णय करना उचित समझते है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 30.10.2019 के विरूद्ध यह अपील दिनांक 29.01.2020 को की गई है तथा अत्यल्प विलम्ब के लिए समाज की राय एवं मश्विरा किये जाने से समय लगने के कारण विलम्ब हुआ ताइद में शपथ पत्र भी दिया है। न्यायाहित में अखण्डित शपथ पत्र के आधार पर मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अब हम प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते है। यह सुस्पष्ट है कि आवंटी रेस्पोडेंट को आराजी नम्बर 41/35 रकबा 4 बीघा 15 बिस्वा में से आराजी नम्बर 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा छोटी पट्टी के रूप में पूर्ण डी.एल.सी. पर आवंटन सलाहकार समिति के परामर्श से दिनांक 15.12.2004 को किया गया है। जिसका कब्जा पटवारी द्वारा दिनांक 08.04.2005 को दिया गया है तथा इस भूमि का पट्टा क्रमांक 15/7 सन् 2005 भी उपखण्ड अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। प्रकरण में समस्त कमाण्ड प्रिमियम 37463/– रूपये जमा हुई है।

उपरोक्त आवंटन का नामांतरण क्रमांक 872 खोला जाकर दिनांक 01.08.2005 को स्वीकृत हुआ। जमाबंदी सम्वत् 2070–2073 से रेस्पोडेंट आवंटी की गैर खातेदारी में आराजी नम्बर 41/42 रकबा 1 बीघा 17 बिस्वा दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली अनुसार पर्चा मौका दिनांक 22.08.2018 के अनुसार मौके पर उक्त भूमि पर गायरी समाज

द्वारा तारबंदी कर ली है का वर्णन किया गया है। प्रकरण में पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट मांगे जाने पर तहसीलदार के पत्रांक 294 दिनांक 24.06.2019 के अनुसार भूमि पर आवंटन के बाद आवंटी द्वारा थूर की बाड एवं वृक्ष लगा लेने के बाद अगस्त, 2018 में गाडरी समाज द्वारा पोल लगाकर कब्जा कर लिया जाना बताया है। प्रकरण पुनः तहसीलदार, धरियावद की रिपोर्ट पत्रांक 1010 दिनांक 11.09.2019 के अनुसार निम्नानुसार रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि –

"ग्राम गाडरीयावास में दिनांक 07.09.2019 को 03.00 बजे मौके पर पंहुचा मौके पर खसरा नम्बर 41/2, 41/42 के चारो और लोहे की जाली से सडक की पटरी पर अतिक्रमण करते हुए लगा रखी है जिससे खसरा नम्बर 41/42 में घुसने का रास्ता भी बंद हो गया हैं जहां से खाता श्रीमती कमला देवी पत्नि रतनपुरी गोस्वामी की भूमि पर जाने तथा गणेश विर्सजन का रास्ता व करबला का अन्य खातेदारों की जोत पर जाने का रास्ता भी अवरूद्ध हो गया है। पुछताछ में ज्ञात है कि उक्त जालीदार बाड गायरी समाज द्वारा अनाधिकृत रूप से की गई हैं उक्त जालीदार बाड से चार–पांच फिट अंदर तरफ पुर्व में भी बाड की हुई है। जिससे काटेदार तार लगे हुए है। यह भी गायरी समाज द्वारा ही की गई थी। यह है कि मौके पर पुर्व में आवंटी (गैर खातेदार) श्रीमती कमला पत्नि स्व. रतनपुरी गोस्वामी का ही कब्जा था लेकिन श्रीमती कमला को एक कमजोर अबला समझतें हुए अगस्त, 2018 में धनराज पिता भगवानलाल गायरी ने समाज की आड में अनाधिकृत कब्जा करने की चेष्टा की हैं तथा श्रीमान न्यायालय में 14(4) की कार्यवाही प्रस्तावित करवा दी है। मुताबिक रेकार्ड के खसरा नम्बर 41/42 रकबा 1.17 बीघा किस्म बा. III श्रीमती कमला पत्नि स्व. रतनपुरी गोस्वामी निवासी धरियावद के नाम गैर खातेदार दर्ज है। श्रीमती कमला द्वारा कमाण्ड क्षेत्र की प्रिमियम राशि 37463 रूपये चालान नम्बर 06 दिनांक 04.05.2005 को राजकोष में जमा करा दी गई तथा आवंटन पट्टा दिनांक 15.07.2005 को जारी हो चुका है। जिस पर नामांतरण संख्या 872 दिनांक 01.08.2005 से गैर खातेदार दर्ज है।"

उपरोक्त विवेचन से तथा अपीलांट के प्रार्थना पत्र एंव अपील मेमो के एवं बहस के आधार पर आवंटी रेस्पोडेंट के विरूद्ध अपीलांट का यह उजर है कि यह भूमि (विवादित) पर अपीलांट प्रार्थी समाज काबिज था।

हालाकि प्रकरण में अपीलांट समाज कोई पंजीकृत संस्था होने की साक्ष्य नही है तद्नुसार वह कोई विधिक व्यक्ति नही है। प्रकरण में भूमि राजकीय होने से अतिक्रमी का कोई लोकस स्टेण्डाई नही होता, हालाकि इस प्रकरण में आवंटन से पूर्व अपीलांट प्रार्थी का कब्जा होने की भी कोई साक्ष्य नहीं है। प्रकरण में यह भी स्पष्ट है कि अपीलांट को आवंटन कोई **Fraud** या **Misrepresentation** से नही हुआ है तथा आवंटन के बाद उन्हें आवंटित राजकीय भूमि का कब्जा भी दिया गया है तथा उनके द्वारा उक्त बाड एवं वृक्ष भी लगाये गये है। आवंटन/कब्जा दिये जाने एवं कब्जेदार आवंटी की भूमि पर यदि किसी अनाधिकृत व्यक्तियों/अपीलांट द्वारा अवैध कब्जा कर भी लिया जाता है तो इससे विधिक आवंटन निरस्त किये जाने का कोई आधार नही बनता। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट प्रार्थी के आवंटन निरस्तीकरण आवंटन को खारिज किए जाने में किसी प्रकार की तथ्यात्मक विधिक त्रुटी नही की है। उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है।

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

एल0एन0मंत्री
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर